शहादत वादी हेतु अवसर चाहा गया है। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली शहादत वादी में दिनांक 10/4/18 को पेश हो।

10/04/2018 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष गण। मुकदमा वादी हेतु अवसर चाहा गया, अवसर अंतिम न्याय हित में दिया जाता है। पत्रावली शहादत वादी में दिनांक 15/05/2018 को पेश हो।

31/5/18 पत्रावली आज लोक अदालत रूप में बैरपुरा में पेश हुई। पत्रावली में पक्षकारगण उपस्थित आये। पक्षकारों के मध्य आपसी समझाइश से राजीनामा हो गया है।

360
31/5/18

पत्रावली में वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि मौ० लक्ष्मीपुरा प० ह० बैरपुरा की आ. नं. 115 रकबा 0.0600 है० भूमि वाकी की पैतृक भूमि होकर प्रति सं. 1 ने उक्त कर उक्त वादी की हक हिस्से की भूमि में कोई हक नहीं है। वादी एवं प्रतिसं. 1 ने उ के पितामह देवी ठा० रामा एवं देवा ठा० रामा के नाम दो अलग एक ही गांव में निवास

शंकरलाल

निरंजन हीरा

Scanned by CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़	नम्बर व जो इस हुक्म में आवे

करने के आधार पर वादी के पिता की विरासत में नामातरण सं. 287 में प्रति सं. 1 से 3 का नाम जिसमें नामातरण सं. 287 से वादी की पैतृक आराजी में नाम अंकित हो गया। जिसमें प्रति सं. 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर 1/3 हक हिस्से की घोषणा करने हेतु निवेदन किया व प्रति सं. 1 से 3 अपने नाम पर दर्ज होने से भ्रम किसी अन्य से रहन, बैम, बेचान नहीं हुवा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया मनन किया गया वादी व प्रतिवादी को सुना गया। पक्षकारों में राजीनामा हो जाने व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण का धारा 88, 188 R.T. Act का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौ० लक्ष्मीपुरा पर ह० केशपुरा की आ.नं. 155 कुल किता- कुल रकबा 0.0600 है० भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकित कराया जाकर कुल आराजी में 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रति सं. 1 से 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादीगण को खातेदारी हक से दर्ज करने की घोषणा की जाकर डिक्री डिलश से तैयार की जाकर जारी की जाकर तहसीलदार लो० बेगू को पत्र लिखा जावे। पत्रावली के नकल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner